MP Industrial Development Corporation Limited

MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

क्रमांक / 40 / एमपीआईडीसी / प्रशा. / 2022 / भोपाल दिनांक .04.2022

/ / आदेश / /

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4–1 / 2021 / नियम / चार भोपाल दिनांक 31 मार्च 2022 अनुसार राज्य शासन के शासकीय सेवकों को माह मार्च 2022 से छठवें वेतनमान में देय मँहगाई भत्ता में दिनांक 01.03.2022 (माह मार्च 2022 का वेतन जो अप्रैल 2022 में देय होगा) से 25% की वृद्धि की गई है। उपरोक्त वृद्धि के उपरांत मँहगाई भत्ते की दर दिनांक 01 मार्च 2022 (भुगतान माह अप्रैल 2022) से 171% से बढ़कर कुल 196% हो गई है।

अतएव निगम मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सेवारत निगम सेवकों को उपर्युक्त आदेश अनुरुप मँहगाई भत्ते के भुगतान की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रबन्ध संचालक के आदेशानुसार।

(सी.एस.धुर्वे)
कार्यकारी संचालक

पृ.क्रं / 40 / एमपीआईडीसी / प्रशा. / 2022 / 624 भोपाल दिनांक 09 .04.2022

प्रतिलिपिः–

1. प्रबन्ध संचालक, एमपीआईडीसीलि., मुख्यालय, भोपाल के निज सहायक।
2. कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसीलि., क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / इन्दौर / जबलपुर / ग्वालियर / रीवा।
3. मुख्य वित्तीय अधिकारी, एमपीआईडीसीलि., मुख्यालय, भोपाल।
4. महाप्रबन्धक (स्था. / वित्त एवं लेखा / आई.टी), एमपीआईडीसीलि., मुख्यालय, भोपाल।
5. आदेश नस्ती।

संलग्नकः– परिपत्र क्रमांक एफ 4–1 / 2021 / नियम / चार भोपाल दिनांक 31 मार्च 2022।

कार्यकारी संचालक

M (15,5,W5)
12/05/22

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1 / 2021 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 3। मार्च, 2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को देय मंहगाई भत्ते की दर में मार्च, 2022 से वृद्धि ।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-1 / 2021 / नियम / चार दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 द्वारा राज्य शासन के छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को माह मार्च, 2022 (भुगतान माह अप्रैल, 2022) से 171 % की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है ।

2 / राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार तिथि व दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये:-

अवधि जब से देय	मंहगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत
छठवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर दिनांक 01-03-2022 से (भुगतान माह अप्रैल, 2022)	25%

3 / उपरोक्त वृद्धि के उपरांत मंहगाई भत्ते की दर 01 मार्च , 2022 से (भुगतान माह अप्रैल, 2022) कुल 196% हो जायेगी ।

4 / मंहगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

5 / मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा ।

6 / यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

9 Order - 27

निरंतर.....2